निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 07 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक निदेशक, रेशम , गोपेश्वर (चमोली)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>कार्यालय</u> सहायक निदेशक, रेशम , गोपेश्वर (चमोली) के माह 05/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 14/05/2018 से 17/05/2018 तक श्री नीरज चूंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज श्रीवास्तव, श्री गोविन्द सिंह एवं श्री राजेश सिन्हा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 28.05.2012 से 31.05.2012 तक श्री सी०एस० बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09 /2008 से 04/ 2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः उत्तराखण्ड राज्य**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2012-13	-	-	13961000	12309593	1485000	1483629	-	1652778
2013-14	-	-	6728177	6709622	425000	424486	-	19067
2014-15	-	-	7480000	6009372	960000	955898	-	4102
2015-16	-	-	7870000	5584151	1250000	1249792	-	208
2016-17	-	-	7008380	6907504	1074000	1073002	-	101874
2017-18	-	-	9097000	8486068	960000	960000	-	610932

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत (-) `
2012-13	-	-	1765000	1765000	-	-
2013-14	राज्यांश	-	146400	146400	-	-
2014-15	राज्यांश	-	47000	46517	-	483
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	CSS	-	90000	90000	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

रेशम निदेशालय उत्तरखण्ड, स्वीकृत विभागीय ढांचा

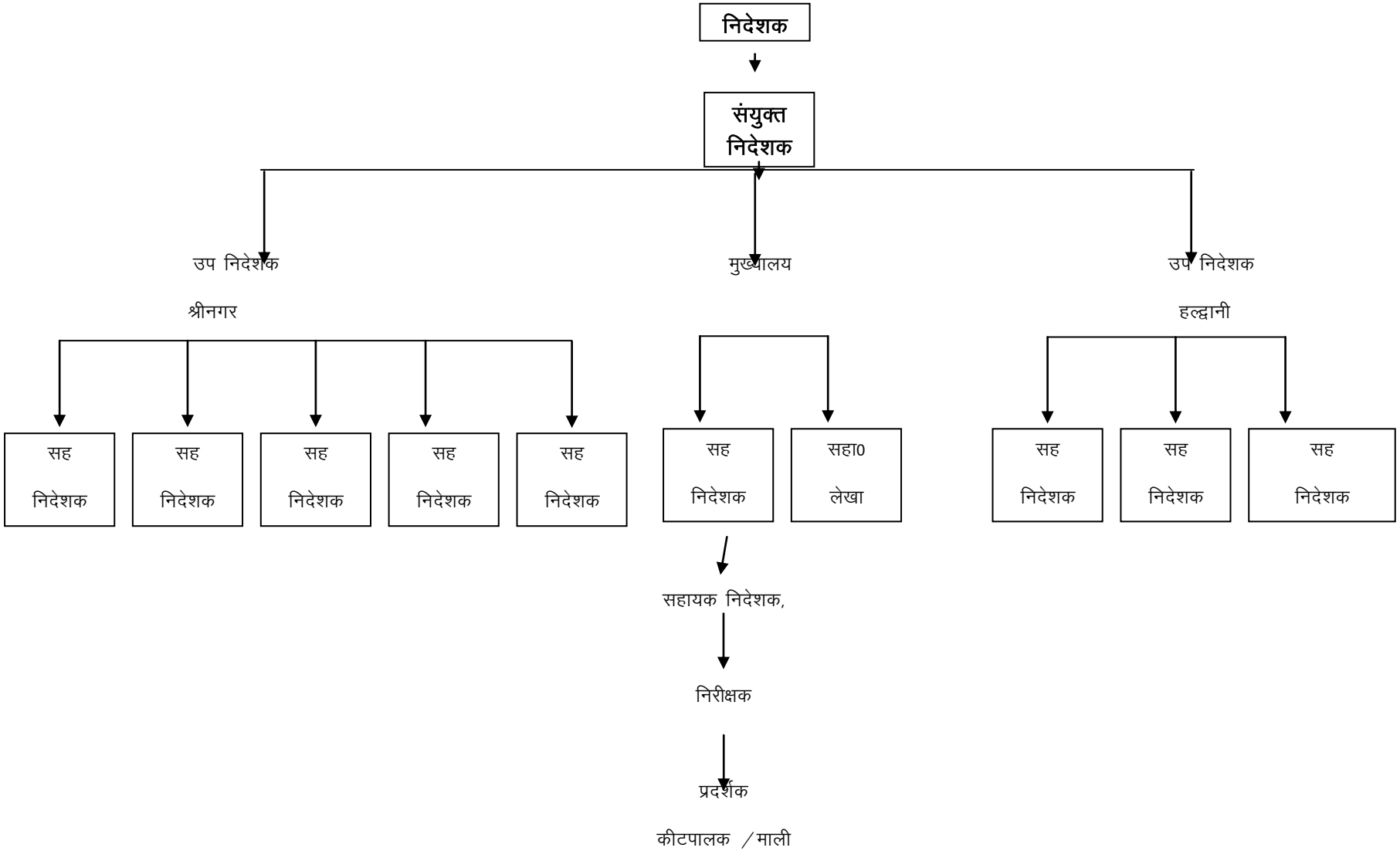

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **सहायक निदेशक, रेशम , गोपेश्वर (चमोली)**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक निदेशक, रेशम , गोपेश्वर (चमोली)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 04/2013 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2-ब

प्रस्तर 1 : भवन का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी केंद्रीय रेशम बोर्ड से किराये की वसूली नहीं कर राजस्व की हानि।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि रेशम फार्म, गोपेश्वर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से टसर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापन सुविधा उपलब्ध करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके अनुसार रेशम फार्म, गोपेश्वर मे केंद्रीय रेशम बोर्ड को निम्न संपत्ति हस्तांतरित की गयी।

1. भूमि 4 एकड़ जिसमे बांझ का पुराना वृक्षारोपण है
2. सहायक निदेशक, रेशम का पुराना आवास (संख्या 1)
3. टसर कीटपालन गृह (संख्या 1)
4. भवन (संख्या 2)

शासन के निर्देशों के अनुसार इस सम्बंध मे लीज़ एग्रीमेन्ट किया जाना था व शासन के साथ किए गए एम0ओ0यू के अनुसार 4 एकड़ भूमि जिसमे बांझ का पुराना वृक्षारोपण है, उपयोगार्थ निशुल्क प्रदान किया जाना था व संपत्ति पर विभाग का स्वामित्व पूर्वत बना रहेगा।

कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार 18-1-2002 को सहायक निदेशक, गोपेश्वर चमोली द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड /अनुसंधान प्रसार केन्द्र 5 वर्ष[1] के लिये स्थापना हेतु दिये जाने हेतु लीज़ एग्रीमेन्ट किए जाने हेतु लिखा गया था लेकिन कार्यालय मे उक्त लीज़ एग्रीमेन्ट के सम्बंध मे कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे। जिस कारण से लेखा परीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि केंद्रीय रेशम बोर्ड /अनुसंधान प्रसार केन्द्र के साथ लीज़ एग्रीमेन्ट कब-कब किए गये है और उक्त अनुबंध के अनुसार संचालन हेतु कौन सी शर्ते लागू है। आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा निर्मित भवनो का रेन्ट केंद्रीय रेशम बोर्ड से भी नहीं लिया जा रहे था व केंद्रीय रेशम बोर्ड /अनुसंधान प्रसार केन्द्र अभी भी उक्त भवनो मे अध्यासित था व भूमि पर संचालन कर रहा था।

उपरोक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक के पत्र दिनांक 18-1-2002 द्वारा 4 एकड़ भूमि जिसमे बांझ का पुराना वृक्षारोपण है व भवन स्थानांतरण किया गया व कार्यकाल निर्धारित किया गया। लीज़ एग्रीमेंट की अवधि बढाने का

[1] शासन से निश्चित अवधि से अधिक का कार्यकाल बढाया या घटाया जा सकता है

निर्णय शासन स्तर पर किया जाना है। उत्तर तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योकि सहायक निदेशक, गोपेश्वर चमोली के पत्र द्वारा व शासन के निर्देशों[2] के अनुसार इस सम्बंध मे लीज़ एग्रीमेन्ट किया जाना था जो नहीं किया गया था जिससे केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भवन का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी किराये की वसूली सहायक निदेशक, गोपेश्वर चमोली नही कर पाया व राजस्व की हानि हुई।

अत: भवन का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी केंद्रीय रेशम बोर्ड से किराये की वसूली नहीं कर राजस्व की हानि का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

[2] शासन के साथ किए गए एम0ओ0यू के अनुसार केंद्रीय रेशम बोर्ड /अनुसंधान प्रसार केन्द्र को 4 एकड़ भूमि जिसमे बांझ का पुराना वृक्षारोपण है उपयोगार्थ निशुल्क प्रदान किया जाना था।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करना, अर्जित ब्याज `8.37 लाख को अवरूध्द रखा जाना, व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजना एवं कार्यालय मे दस्तावेजो का सही रखरखाव न करना।

प्रदेश मे रेशम विकास गतिविधियों मे गतिशीलता लाने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं के अधीन रेशम उत्पादन हेतु कृषकों की भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराते हुए लाभार्थियों को कीटपालक सामग्री, विशुद्धिकरण आदि कार्यों हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहरादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को कुल ` 2,80,97,000.00 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से ` 2,13,75,124.00 व्यय की जा चुकी हैं। अत: अवशेष धनराशि ` 67,21,876.00 थी। संबन्धित पास बुक की जांच मे पाया गया कि कुल ` 8,37,379.00 की धनराशि ब्याज के रूप मे प्राप्त हुई थी। अत: कुल अवशेष धनराशि ` 75,59,255.00 होनी चाहिए। जबकि पास बुक के अनुसार दिनांक-07.04.2018 तक कुल अवशेष धनराशि ` 77,41,720.00 थी। जिसमे से ` 94,958.00 धनराशि रेशम फेडरेशन द्वारा भेजी गयी थी। अत: पास बुक के अनुसार अवशेष धनराशि ` 76,46,762.00 हैं। अत: खाते मे ` 87,507.00 अधिक धनराशि हैं इसके अलावा कार्यालय के अभिलेखो मे भारत सरकार का स्वीकृति पत्र एवं प्रोजेक्ट स्वीकृति की प्रति उपलब्ध नही हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) गाइडलाइंस 2014 के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. To incentivize the States so as to increase public investment in Agriculture and allied sectors.
2. To ensure that the local needs/crops/priorities are better reflected in the agricultural plans of the States
3. To achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops, through focused interventions.
4. To maximize returns to the farmers in Agriculture and allied sectors.
5. To bring about quantifiable changes in the production and productivity of various components of Agriculture and allied sectors by addressing them in a holistic manner.

As per para 9.6, as envisaged in National Policy for Farmers (2007) (para 11-viii), Panchayati Raj Institutions (PRI) should be actively involved in implementation of RKVY especially in selection of beneficiaries, conducting social audit etc.

उक्त सभी 200 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जानी थी। लेकिन अभी तक केवल 100 लाभार्थियों को ही ट्रेनिंग दी गयी जबकि वर्ष 2016-17 समाप्त भी हो चुका हैं।

As per para 10.3, release of the second and final instalment would be considered on the fulfilment of the following conditions:

a) 100% utilization certificates (UCs) for the funds released upto previous financial year.
b) Expenditure of at least 60% of funds released in first instalment during current year
c) Submission of performance report in terms of physical and financial achievements as well as outcomes, on a quarterly basis, within the stipulated time frame in specified format.

As per para 10.7, the amounts of the second and final instalment of the allocation will depend upon the progress of utilization of funds, states should ensure that the funds released are utilized promptly, properly and progress reports are sent to DAC at the earliest.

कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार 2015-16 से 2016-17 तक कुल 2 प्रोजेक्टस मे भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी जिन पर कार्य अभी भी प्रगति पर है। उक्त कार्यो के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है। जिसको कार्यक्रम की गाइडलाइंस के अनुसार अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे रखा जा रहा है। गाइडलाइंस के अनुसार जमा राशि पर अर्जित ब्याज को उक्त मे सम्मिलित प्रोजेक्ट्स पर ही उपयोग किया जाना है। इस सम्बंध मे अभिलेखो व पास बुक की जांच मे पाया गया कि कार्यक्रम की जमा राशि पर अर्जित ब्याज `8.37 लाख व कार्यक्रम अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आतिथि तक किए गये व्यय की यू0 सी0 निदेशालय/भारत सरकार को प्रेषित नहीं की गयी है जो गाइडलाइंस मे दिये गए निर्देशों के विरूध्द है।

आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर निर्धारित प्रारूप जी0एफ0आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी तथा अवशेष धनराशि की सूचना वित्तीय वर्ष के अंदर ही निदेशालय/शासन को उपलब्ध करनी होगी। इस संबंध मे कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को नही भेजा गया था। इस संबंध मे निदेशालय द्वारा पत्रांक-662(7) /रेशम/तक0अनु0/ 2015-16 दिनांक- 02 सितंबर 2015 द्वारा भी अनुस्मारक भेजा गया हैं।

Monitoring & Evaluation: -

As per para 12.1, states will be responsible for timely submission/ updating project data online in the system (preferably on a fortnightly basis) which has been designed to. As per para 12.3, 25% of the projects sanctioned by the state each

year under the three streams e.g. RKVY (production growth), RKVY (infrastructure & Assets) & RKVY (Sub-schemes) shall have to be compulsorily taken up for third party monitoring and evaluation by the implementing states. अत: योजना मे कराये जा रहे कार्यों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक हैं एवं जिस हेतु रेशम निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक-1311(8)/रेशम/ तक0 अनु0/2017-18 दिनांक-08 दिसम्बर 2017 मे भी लिखा गया हैं। जिससे भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि का सदुपयोग किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी। कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि सहायक निदेशक, रेशम विभाग, गोपेश्वर, चमोली द्वारा निम्न निरीक्षण किए गए-

क्रम.स.	**धारकोट**	**गैरसेण**
1	01.04.2016	07.04.2016
2	31.03.2017	18.04.2016
3	29.03.2018	27.03.2017

उक्त से स्पष्ट हैं कि सहायक निदेशक द्वारा बहुत कम निरीक्षण किया गया एवं वर्ष 2015-16 मे कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

इस संबंध मे कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पास बुक एवं कैश बुक से मिलान कर लिया जाएगा। कार्यालय द्वारा गाइडलाइंस का अनुपालन न करते हुए लाभार्थियों का चयन PRI के माध्यम से नही किया जा रहा हैं और न ही सोशल ऑडिट किया जा रहा हैं। ट्रेनिंग के संबंध मे कहा गया हैं कि शीघ्र ही ट्रेनिंग करवा ली जाएगी। कार्यालय द्वारा व्यय धनराशि एवं ब्याज के रूप मे अर्जित ब्याज `8.37 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को नही भेजा गया एवं न ही वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि की सूचना निदेशालय को दी गयी। निरीक्षण के संबंध मे कहा गया हैं कि समय-समय पर निरीक्षण किया जाता हैं परंतु उसका रखरखाव कार्यालय मे न होकर फ़ार्म मे किया जाता हैं। कार्यालय के उत्तर तर्कसंगत नही हैं क्योकि गाइडलाइंस के अनुसार लाभार्थियों का चयन PRI की माध्यम से किया जाना चाहिए था एवं सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए था। यह योजना 2016-17 तक के लिए थी अत: इसके लिए ट्रेनिंग समय पर करवानी चाहिए थी। जबकि फंड भी उपलब्ध था। नियमो के अनुसार कार्यदायी कार्यालयो द्वारा उक्त धनराशि को योजना मे व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र रेशम निदेशालय को भेजा जाना चाहिए था जो कि कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है। जो जीएफ़आर के नियम 19 ए विरुध्द है एवं न ही ब्याज के रूप मे प्राप्त धनराशि की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी एवं निरीक्षण से संबन्धित दस्तावेज कार्यालय मे होने चाहिए जिससे सही भौतिक प्रगति की रिपोर्ट/ जानकारी निदेशालय को भेजी जा सके।

अत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करने, धनराशि व्यय करने के पश्चात भी उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजने एवं कार्यालय मे दस्तावेजो का सही रखरखाव न करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 3– त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान किया जाना।

कार्यालय सहायक निदेशक, रेशम, गोपेश्वर–चमोली की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (माह 05/2018) में पाया गया कि श्री मनोज सिंह, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका में वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 में ग्रेड पे रू0 2400 से ग्रेड पे रू0 2800 में दिनांक 01.01.2013 को उच्चीकरण करते हुये रू0 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) पर शा0सं0 41/XXVII(7) सी0भर्ती/2009 दिनांक 13.02.2009 से सम्बन्धित ग्रेड वेतन की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार वेतन निर्धारित किया गया, परन्तु उच्चीकरण के दिनांक 01.01.2013 को ही 3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि रू0 350/– की दी गयी जो त्रुटिपूर्ण थी जिसे एक वर्ष पश्चात् दिया जाना चाहिये था जिससे उनका वेतन दिनांक 01.01.2013 को रू0 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) के स्थान पर रू0 11710/–(8910 Pay+2800 Grade Pay) एक वेतन वृद्धि अधिक दिये जाने से हो गया, इसके कारण श्री मनोज सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 01.01.2013 से लेखापरीक्षा तिथि तक अधिक वेतन का आहरण किया जा रहा था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि प्रकरण की जॉच कर वेतन निर्धारण की त्रुटि का सुधार कर लिया जायेगा तथा जो भी अधिक भुगतान हुआ है, उसकी वसूली कार्मिक के एरियर/वेतन से कर ली जायेगी। इकाई का उत्तर तर्क संगत नही था क्योकि कर्मचारी के गलत वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन का भुगतान किया जा रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: 70 प्रतिशत रिक्त पदो के होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे बिना वरिष्ठ सहायक पद सृजित के 2011 से कार्मिक कार्यरत

कार्यालय के संरचनात्मक ढाँचें मे शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनरीक्षित कर पुनर्गठन किया गया था। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे 50 स्वीकृत पदो के सापेक्ष मात्र 15 (30%) अस्थाई कर्मचारी कार्यरत है। अभिलेखो मे पाया गया कि रिक्त पदो मे मुख्यत: वे पद शामिल है जो विभाग की योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति कराता है (संलग्नक 1 के अनुसार)।

विभाग द्वारा इन कुछ रिक्त पदो (विभागीय 10 फार्म हाउस हेतु 10 चौकीदार जिनमे 4 कीटपालक का कार्य भी करते है) पर 11 आउट सोर्सिंग से भरा था लेकिन 10 प्रदर्शक, 6 निरीक्षक, 2 प्रधान कीट पालक व 3 प्रधान माली को आउट सोर्सिंग से भरे जाने के लिए कार्यालय द्वारा कोई कोशिश नहीं की गयी थी। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि कार्यालय मे वरिष्ठ सहायक का पद सृजित नहीं है व इस पद पर 1 अस्थायी कर्मचारी व संविदा पर 1 कर्मचारी कार्यरत है। इस सम्बंध मे कोषाधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि बिना स्वीकृति पदो पर वेतन का भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन से वेतन आहरण के स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के उपरांत ही वेतन आहरण की कार्यवाही करे। इस सम्बंध मे निदेशक, रेशम विभाग द्वारा कोषाधिकारी को कार्यालय मे कार्यरत कार्मिक का वेतन निदेशालय के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित किए जाने के लिए कहा गया था जबकि निदेशालय मे उक्त तिथि (11/2014) से आतिथि तक (5/2018) वरिष्ठ सहायक सृजित 4 मे से 2 पद खाली है जिसको कार्यालय मे कार्यरत कार्मिक से भरा जा सकता था/है। यह भी प्रकाश मे आया कि इसी पद के लिये निदेशालय द्वारा संविदा पर 1 कर्मचारी को कार्यालय मे कार्यरत किया है जो नियमो के विरुध्द है।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि रिक्त पदो के होने से कार्यालय से संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे फार्म पर सही समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो पाते है एवं आउट सोर्सिंग से रखे गए कार्मिकों से फार्म पर चौकीदारी का काम व कम्प्युटर ऑपरेटर के कार्य संपादित किये जा रहे है व वरिष्ठ सहायक 2011 से कार्यालय मे कार्यरत जिसकी जानकारी निदेशालय को है। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि करता है।

अत: 70 प्रतिशत रिक्त पदो के होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे बिना वरिष्ठ सहायक पद सृजित के कार्मिक 2011 से कार्यरत का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `1.74 लाख के दायित्व का सृजन।

प्रदेश के रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु भुगतान मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य आयोजानागत योजना के अंतर्गत 0713 रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीटपालको से `1 प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य कटौती करते हुए शेष रेशम कीटाण्ड मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वहन किए जाने के प्राविधान है।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेकिन योजना के अनुसार बजट मे विगत तीन वर्षो से विभाग द्वारा प्राप्त आपूर्ति रेशम कीटाण्ड व उक्त के मूल्य के अनुसार अनुमान नहीं रखा गया था। जिस कारण से आतिथि तक `1.74 लाख (जिसमे लाभार्थी द्वारा रेशम कीटाण्ड मूल्य अंश `0.37 लाख का देय भुगतान नहीं किया गया है) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार की देयता विभाग की हो गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लाभार्थी से कुल कितना प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य 2015-16 से पूर्व लिया गया है व लम्बित है, का विवरण कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विगत तीन वर्षो से प्राप्त रेशम कीटाण्ड (डी0एफ0एल0) व किये गये भुगतान का विवरण संलग्नक 1 के अनुसार है। आगे यह भी पाया गया कि 3 लाभार्थी द्वारा `7700/- वर्ष 2015-16 मे रेशम कीटाण्ड मूल्य (अंश) जमा किया गया था लेकिन उक्त धनराशि को केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार को जमा न कर कार्यालय मे कैश के रूप मे रखा गया है जिसको रोकड़ बही मे भी अंकन नहीं किया गया था।

उपरोक्त की ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर से राज्य योजना कीटाण्ड मुल्य राशि की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई व पत्र के द्वारा संबन्धित रेशम केन्द्र प्रभारियो को लाभार्थी अंश (कृषक अंश) जमा करने हेतु अवगत कराया गया है। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `1.74 लाख के दायित्व का सृजन जिसमे लाभार्थियो (कृषक अंश) से रेशम कीटाण्ड मूल्य अंश `0.37 लाख का देय धनराशि प्राप्त न किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
--	**(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है)**	---	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है)

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सहायक निदेशक, रेशम, गोपेश्वर (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री पंकज अथैया	सहायक निदेशक
2.	श्री एस. पी. शाही	सहायक निदेशक
3.	श्री एन. के. नैथानी	सहायक निदेशक
4.	श्री ए. के. यादव	सहायक निदेशक
5.	श्री हेमचंद	सहायक निदेशक
6.	श्री अनिल कुमार थापा	सहायक निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक निदेशक, रेशम, गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खंड-2